कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री महेश कुमार मेहता (MAHESH KUMAR MEHTA), प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खानपुर मेवान (KHANPUR MEWAN), जिला अलवर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कलापुरा (KALAPURA) जिला जालौर किया गया, जिसके विरूद्ध श्री महेश कुमार मेहता द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3235/2019 श्री महेश कुमार मेहता बनाम राजस्थान सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3235/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.11.2019 द्वारा अपीलार्थी की अपील को प्रत्यर्थी विभाग को प्रतिप्रेषित (REMAND) करते हुए अपीलार्थी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष निकटतम रिक्त पद दर्शाते हुए अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावदेन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपयुर्क्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने और तब तक **अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करने को विवश नहीं करने व अपीलार्थी के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई अवपीडक कार्यवाही (COERCIVE ACTION) अमल में नहीं लाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।**

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं को दूरस्थ स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने, अपनी पत्नी के राजकीय सेवा में अलवर जिले में कार्यरत होने एवं अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों के मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन/समायोजन राउमावि गादूवास/क्यारा/मिलकरपुर तुर्क/डहरवाला जिला अलवर अथवा डाईट बसवा, जिला दौसा में किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय तथा राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। **अपीलार्थी द्वारा चाहे गए विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद रिक्त नहीं होने के कारण उन्हें अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है।** अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें राज्य हित/छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 2486 पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि यह नियोजक का परमाधिकार है कि वह राज्य सेवा के किस कार्मिक को कब और कहां पदस्थापित करे।**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिल्पी बोस बनाम बिहार सरकार प्रकरण में अवधारित किया गया है कि "**A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer Orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights.** "

उपर्युक्त तथ्यों, एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी श्री मेहश कुमार मेहता, प्रधानाचार्य का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाता है। **चूंकि माननीय अधिकरण द्वारा अपने आदेश में अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक उन्हें कार्यमुक्त नहीं किये जाने एवं उनके विरूद्ध कोई अवपीडक कार्यवाही अमल में नहीं लाने हेतु निर्देशित किया गया था, एवं अब अपीलार्थी का अभ्यावेदन उपर्युक्त आधारों पर खारिज किया गया है, अतः अपीलार्थी श्री महेश कुमार मेहता, प्रधानाचार्य को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर आदेशित किया जाता है कि वे विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में अपने स्थानान्तरित स्थान राजकीय उच्च**

माध्यमिक विद्यालय, कलापुरा जिला जालौर में दिनांक 05.12.2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाऐं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम–17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सम्बन्धित सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/महेश मेहता/3235/2019 **दिनांक** 02-12-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/पाली संभाग।
4. **मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर को आदेशित किया जाता है कि वे श्री महेश कुमार मेहता के स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाऐं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम–17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जांच–प्रथम अनुभाग को 3 दिवस के भीतर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।**
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, अलवर/जालोर ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. श्री मेहश कुमार मेहता, सम्बन्धित प्रधानाचार्य।

11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)